

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/419  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/05/2020

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
4. समस्त Dedicated Covid Hospitals (DCH), म.प्र.।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।


विषय : Covid-19 से संबंधित मृत्यु की Death Audit के संबंध में।

संदर्भ : संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. का पत्र क्रमांक आई.डी.एस.पी./2020/516 दिनांक 21.04.2020

\*\*\*\*

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा प्रदेश में Covid-19 से संबंधित मृत्यु की Death Audit किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. Dedicated Covid Hospital जिसमें मृत्यु हुई है, वह Death Audit का प्रपत्र भरकर हस्ताक्षरित प्रति की PDF फाइल तथा Word File Soft Copy में संबंधित क्षेत्रीय संचालक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करायें। विगत सप्ताह में हुई सभी मृत्यु के प्रपत्र आगामी मंगलवार तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. क्षेत्रीय संचालक, प्रत्येक दो सप्ताह में तकनीकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे तथा प्राप्त प्रपत्रों का विश्लेषण करेंगे। संभाग के प्रत्येक जिले में हुई मृत्यु की समीक्षा की जायेगी। यदि दो सप्ताह में संभाग में मृत्यु की संख्या 10 या 10 से कम है तो सभी Death Audit का विश्लेषण किया जाये, यदि संख्या अधिक हो तो दो सप्ताह में हुई मृत्यु का 10 प्रतिशत (अथवा न्यूनतम 10) का विश्लेषण किया जाये।
3. समीक्षा में पाया गया कि Death Audit प्रपत्रों को पूर्णतः भरा नहीं जा रहा है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्रों में पूर्ण भरा जाये, जिससे विश्लेषण हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
4. Death Audit के शत प्रतिशत प्रपत्र राज्य स्तर पर प्रेषित किये जायें। उन्हें ई-मेल [idspsu@mp.gov.in](mailto:idspsu@mp.gov.in) तथा [rajeev.nhm@mp.gov.in](mailto:rajeev.nhm@mp.gov.in) पर प्रेषित किया जायें। Case Sheet भेजने की आवश्यकता नहीं है।
5. संभाग स्तरीय समीक्षा के उपरान्त तकनीकी समिति की अनुशंसा व सुझाव अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त ई-मेल तथा Whatsapp पर प्रेषित किये जायें।

  
(फैज अहमद किदवई)  
आयुक्त/प्रमुख सचिव  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश




पू.क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2020 / 420

भोपाल, दिनांक 20/5/2020

प्रतिलिपि:—आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव / चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

  
19/5

आयुक्त प्रमुख सचिव  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश